प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 07-02-2026 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1. अवैध देशी तमंचे के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार, थाना मैनाठेरः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एंव अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अवैध शस्त्र के निर्माण/तस्करी, के कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 06.02.2026 की रात्रि को उ0नि0 श्री नवीन कुमार थाना मैनाठेर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के गश्त/चैकिगं के दौरान अभियुक्त अदनान पुत्र महबूब हुसैन नि0 मोहल्ला कोट गरबी थाना नखासा कोतवाली नगर जनपद सम्भल को एक देशी तमंचा नाजायज 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध थाना मैनाठेर पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-0031/2026 धारा-3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2. अवैध 1200 ग्राम चरस के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार, थाना ठाकुरद्वाराः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एंव अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अवैध मादक पदार्थो के निर्माण/तस्करी, नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 07.02.2026 को उ0नि0 श्री विजय देशवाल थाना ठाकुरद्वारा द्वारा मय हमराही पुलिस बल के गश्त/चैकिगं के दौरान अभियुक्त जीशान उर्फ दिशान पुत्र नफीस उर्फ अमरिका निवासी ग्राम शरीफनगर थाना ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध 1200 ग्राम चरस बरामद किया गया। इस संबंध थाना ठाकुरद्वारा पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 31/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>आपराधिक इतिहासः-</u>

1. मु0 अ0 सं0 102/2023 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम
2. मु0 अ0 सं0 105 /2013 धारा 3/25 आयुध अधनियम
3. मु0 अ0 सं0 200/2023 धारा 3 (1)उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986

3. कूट रचित प्रमाण पत्र बनाने के आरोपी को थाना ठाकुरद्वारा पुलिस ने किया गिरफ्तारः-

अवगत कराना है कि दिनांक 20.10.2025 को वादी निवासी थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त के द्वारा षड़यंत्र के तहत गाँधी स्मारक इंटर कॉलेज ग्राम जय नगर ठाकुरद्वारा के प्रशासन को समिल्लित कर सांठगाठ कर कूट रचित कर स्थनान्तरण प्रमाण पत्र टी . सी . पर फर्जी दस्तखत कर टी. सी.प्राप्त करना जिसके एवज़ में धन की मांग करना तथा वादी को जान से मारने के इरादे से घर में घुस कर तथा गन्दी गन्दी गाली देने के सम्बन्ध में थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0- 0403/2025 धारा 318(4) ,338,336(3),351(3),333,352 बीएनएस पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 07.02.2026 को उ0नि0 श्री जितेंदर कुमार मीणा थाना ठाकुरद्वारा द्वारा हमराही पुलिस बल के साथ अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र बलवीर निवासी ग्राम सुरजन नगर मजरा कनकपुर थाना ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

4. जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 04 व्यक्तियों व 02 वारंटी को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

शांति व्यवस्था भंग में की गयी कार्यवाही का विवरणः-
थाना मैनाठेर-01, थाना भगतपुर-02, थाना नागफनी-01,

वारंटीः-
थाना मैनाठेर-02